भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1000

02.12.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु के कारण प्रवासन

1000. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आन्ध्र प्रदेश राज्य में जलवायु के कारण प्रवासन के मुद्दे और इसके प्रभाव के संबंध में राज्य-वार कोई अनुसंधान/सर्वेक्षण/अध्ययन/विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में जलवायु प्रवासन से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जलवायु के कारण प्रवासन के मुद्दे से निपटने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आन्ध्र प्रदेश में जलवायु के कारण प्रवासन से निपटने के लिए आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(छ) क्या सरकार ने देश में जलवायु के कारण प्रवासन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ) प्रभावित लोगों का प्रवासन/विस्थापन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य कारकों के कारण हो सकते हैं। विस्थापन के आधारभूत कारण (कारणों) पर निर्भर रहते हुए यह अस्थायी या स्थायी, अल्पावधिक या दीर्घावधिक हो सकता है। 1.5 डीग्री सेल्शियस के वैश्विक तापन संबंधी जलवायु परिवर्तन विशेष रिपोर्ट के अन्तर सरकारी पैनल (2018) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के द्वारा लोगों के विस्थापन का आधार बनने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक जटिल और भिन्न-भिन्न है; इसलिए देखे गए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना या किसी भी स्तर के आत्मविश्वास के साथ इसके संभावित आयाम का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है।

भारत में लोगों के विस्थापन का कारण बनने वाले जलवायु परिवर्तन के संबंध में मात्रात्मक उत्तरदायित्व प्रदान करने हेतु कोई स्थापित अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि कई अध्ययनों में पर्यावरण में चरम स्थिति की घटनाओं का उललेख हैं, फिर भी इन परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी ठहराने का विज्ञान अत्यधिक जटिल और वर्तमान में उभरता हुआ विषय है। अब तक किए गए अधिकांश अध्ययन जलवायु परिवर्तन प्रभावों के गणितीय मोडलिंग पर निर्भर थे।

राहत, बहाली और पुनर्वासन के कार्यकलाप अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संगत उपबंधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों, निदेशों और आदेशों से शासित होते हैं। आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक उपबंध देश में आपदाओं के प्रबंधन का पर्याप्त रूप से समाधन करते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर राज्य सरकारें, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ), जिसके व्यय का अधिकार पहले से उन्हें सौंपा गया है, से मौजूदा मानदण्डों के अनुसार राहत उपाय शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से नियत प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के तहत अनुमोदित सहायता राशि राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

*****